संख्या:28/2024/810ई-2/तेरह-2024-1852181

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः:दिनांक 30 सितम्बर, 2024

विषयः-मेसर्स मेराकी द बिस्ट्रो (ए यूनिट ऑफ रिमिट्टो होटल्स प्रा.लि.), 301, तृतीय तल मिलिनियम पैलेस, प्लाट नं-2, सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा 103 ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार 36050 ली. वार्षिक क्षमता तक ड्राट बीयर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-52/दो-प्रा. एम.बी. (33)/मेराकी द बिस्ट्रो/लघु यवासवनी, दिनांक 13-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13-09-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स मेराकी द बिस्ट्रो (ए यूनिट ऑफ रिमिट्टो होटल्स प्रा०लि०, 301, तृतीय तल मिलिनियम पैलेस, प्लाट नं-2, सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा 103 ली० प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार 36050 ली० वार्षिक क्षमता तक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु लघु यवासवनी (माइक्रो बिवरी) की स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा:-

(1) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश यवासवनी नियमावली, 1961 (यथासंशोधित) का अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.07.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई आबकारी राजस्व बकाया नहीं है।

(5) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।